न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 692/2026

17.06.2026 आवेदकगण **विनेश्वर मंडल एवं इन्दु देवी** की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **बरियारपुर थाना काण्ड संख्या 53/2026** अन्तर्गत **धारा 126 (2), 115 (2), 109 (1), 352, 3(5) बी0एन0एस0** में गिरफ्तारी की आशंका के कारण प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गोपेश कुमार एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह कि आवेदकगण द्वारा इसके पूर्व श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दायर नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त वाद में के सह–अभियुक्त टुनटुन यादव व टिपू मंडल का जमानत माननीय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय मुंगेर द्वारा दिनांक 12.05.2026 को प्रदान की गयी है। आवेदकगण के विरूद्ध धारा 126 (2), 115 (2), 109 (1), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। जिसमें धारा 109 (2) बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। आवेदकगण एवं सूचक आपस में सहोदर भाई है। आवेदक टुनटुन मंडल के द्वारा भी बरियारपुर थाना कांड संख्या 54/26 सूचक एवं उसके परिवारवालों के विरूद्ध धारा 126 (2), 115 (2), 109 (1), 352, 3(5) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। जो पलटा वाद है। आवेदकगण के कस से बचने वास्ते उपरोक्त वाद लाया गया है। आवेदकगण अत्यंत गरीब है। आवेदकगण खेती–गृहस्थी एवं मजदूरी करके अपरा परिवार चलाता है। आवेदकगण को जमानत मिलने पर कभी भी फरार नहीं होंगे तथा श्रीमान् के प्रत्येक आदेश का सदैव पालन करते रहेंगे। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं और कहते हैं कि अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामित अभियुक्त हैं और इसका घटना में शामिल में शामिल होने की बात कही गयी है, जिसका समर्थन गवाहों ने किया है। अतः, अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

उभयपक्षों को सुना व अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि प्राथमिकी में आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध लाठी, डंडा एवं लोहे के रड़ से सूचक को मारने का विशिष्ठ आरोप नहीं है और किस अभियुक्त ने सूचक को किस हथियार से चोट

लगातार

17.06.2026

कारित की यह नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है तथा जख्म भी सामान्य प्रकृति का है, जो पारा 76 एवं 77 में दिया गया है। पूर्व में बी0ए0 संख्या 830/2026 के द्वारा अभियुक्त टुनटुन मंडल एवं टीपू मंडल को विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2026 को जमानत की सुविधा दी जा चुकी है। अतः उक्त परिस्थिति में आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ देना उचित समझती है।

ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत मो0 10,000/– (दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर आदेश प्राप्ति के 20 दिनों के अंदर सर्मपण करने पर विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तो पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **एक जमानतदार आवेदकगण के घर का सदस्य एवं निकटवर्ती संबंधी होगा।**
2. **आवेदकगण अन्तर्गत धारा 482 (2) बी0 एन0 एस0 एस0 के शर्तो पर शपथपत्र दाखिल करने तथा प्रत्येक तिथि को हाजिरी–पैरवी दाखिल करने एवं आरोप के गठन की सुनवाई पर सदेह उपस्थित रहेंगे।**
3. **इस आदेश के प्राप्ति के 20 (बीस) दिनों के अंदर संबंधित विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करेंगे।**

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

दिनांक 17.06.2026

order of copy and LCR

D.B. No- 56, Dated- 18-06-26